# न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 71/2021

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| अमलुराम पुत्र धन्नारामजी जाति–विश्नोई, निवासी मौखातरा तहसील रानीवाडा जिला–जालोर | | 1. किरताराम पुत्र वगतारामजी जाति विश्नोई निवासी मौखातरा<br>2. पालुदेवी पत्नि मोहनलाल जाति विश्नोई निवासी सांतरू<br>3. ब्रहमप्रकाश पुत्र वगताराम जाति विश्नोई निवासी मौखातरा हाल–निवासी सांतरू तहसील रानीवाडा जिला–जालोर<br>4. तहसीलदार भुमिधारी रानीवाडा |

**अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955**

उपस्थिति :–

1. वादी अधिवक्ता श्री पूखराज विश्नोई।
2. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।

## –: निर्णय :–

दिनांक 28.04.2022

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सांतरू तहसील रानीवाडा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के सामलाती संयुक्त खातेदारी की कृषि भुमि खाता संख्या 9 के खेत खसरा नबंर 333 रकबा 2.85 हैक्टेयर किस्म भुमि चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नबंर 334 रकबा 0.02 हैक्टेयर गैर मुमकिन बैरा, खसरा नबंर 335 रकबा 2.80 हैक्टेयर किस्म भुमि चाही दोयम जाव दोयम कुल रकबा 5.67 हैक्टेयर की आयी हुई है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड संवत् 2073–2076 की जमाबंदी में अमलुराम पुत्र धन्नाराम हिस्सा 1/2 जाति विश्नोई साकिन मौखातरा खातेदार किरताराम पुत्र वगताराम हिस्सा 1/6 जाति विश्नोई साकिन मौखातरा खातेदार पालुदेवी पत्नि मोहनलाल हिस्सा 1/6 जाति विश्नोई साकिन देह खातेदार, ब्रहमप्रकाश पुत्र वगताराम हिस्सा 1/6 जाति विश्नोई साकिन मौखातरा खातेदार के रूप में नाम दर्ज है। वादी ने अपने 1/2 हिस्से के काबिज काश्त वाले हिस्से खसरा नबंर 335 रकबा 2.80 एवं खसरा नबंर 333 रकबा 2.85 में से 0.035 हैक्टेयर की कृषि भुमि का मौके पर कदीमी कब्जा काश्त एवं भुमि के उपयोग–उपभोग की सुविधा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के सिद्वान्तों के आधार पर प्रेम पुर्वक विभाजन कर राजस्व रेकर्ड में खाते अलग करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को दिनांक 8.12.2021 को निवेदन किया, तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के आपसी असहमति बनने से मौके पर कब्जा एवं विभाजन अनुसार वादी के नाम दर्ज 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के [illegible] 1/6 हिस्से की कृषि भुमि का विभाजन अभी नहीं बाद में करवाने हेतु स[illegible] दव[illegible] भ्रमित करने लगे जिससे वादी के 1/2 हिस्से की कृषि के अल[illegible] एवं उस[illegible] स्वतंत्र विकास एवं सिंचाई करने में कठिनाई आने लगी तो प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] गये जिससे आ[illegible] असहमति से विभाजन नहीं हो सका, जबकि मौके पर म[illegible]क विभाजन 1/2 [illegible] 2 (1/6 –1/6 – 1/6) हिस्से अनुसार पहले से सभी खातेदारानों के हिस्से अलग–अलग

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:50:41 IST
Reason: SelfAttested

भुमि हिस्सों पर काबिज काश्त चले आ रहे है, इसलिए राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त 1/2–1/2 हिस्से का बंटवाडा विधिवत करवाने बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर खसरा नबंर 335 रकबा 2.80 हैक्टेयर एवं शेष 0.035 हैक्टेयर भुमि खसरा नबंर 333 में से वादी के नाम का शेष खातेदारानों के नाम हटायें जावें तथा खसरा नबंर 333 रकबा 2.85 हैक्टेयर भुमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बंट में प्रत्येक के 1/6 – 1/6 हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त अनुसार तथा खसरा नबंर 334 रकबा 0.02 हैक्टेयर का 1/2–1/2 हिस्सा कर अलग–अलग हिस्से की डिक्री करवाने हेतु वाद पत्र श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

2. विनायवाद दिनांक 8.11.2021 को पैदा हुआ जब वादी स्वयं द्वारा स्वयं के 1/2 हिस्से की पुर्व में बंटवाडा शुदा खातेदारी कृषि भुमि खसरा नबंर 335 रकबा 2.80 हैक्टेयर एवं 0.035 हैक्टेयर खसरा नबंर 333 में भुमि की देखभाल कर रहे थे तब प्रतिवादीगणों ने मौके पर कब्जा काश्त एवं भुमि के उपयोग–उपभोग की सुविधा अनुसार विभाजन नहीं होने देगे, सामलाती दर्ज कृषि भुमि को बिना विभाजन करवाये ही अपरिचित क्रेताओ को अवैध बैचान कर देगें तथा अपरिचित क्रेताओं को अवैध कब्जा करवा देगें, इस से विनाय वाद पैदा हुआ जो आज दिन तक बदस्तुर जारी है। इसलिए सामलाती खातेदारी कृषि भुमि के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु श्रीमानजी के समक्ष अन्दर म्याद वाद पत्र प्रस्तुत है।

3. वादी इस्तदुआ है कि मौजा सांतरू तहसील रानीवाडा की सामलाती कृषि भुमि खाता संख्या 9 की खेत खसरा नबंर 333 रकबा 2.85 हैक्टेयर, खसरा नबंर 334 रकबा 0.02 हैक्टेयर गैर मुमकिन बैरा, खसरा नबंर 335 रकबा 2.80 हैक्टेयर कुल रकबा 5.67 हैक्टेयर में से वादी के मौके पर कब्जा काश्त एवं भुमि के उपयोग – उपभोग की सुविधा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर वादी के 1/2 हिस्से की कदीमी खसरा नबंर 335 रकबा 2.80 हैक्टेयर एवं खसरा नबंर 333 में से रकबा 0.035 हैक्टेयर आराजी का बंटवाडा की डिक्री बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 सादिर फरमावे, तथा शेष 1/2 हिस्से में खसरा नबंर 333 कुल रकबा 2.85 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के प्रत्येक के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारी हिस्से 1/6 – 1/6 – 1/6 हिस्से अनुसार दक्षिण दिशा की तरफ प्रतिवादी संख्या 3 मध्य में प्रतिवादी संख्या 1 तथा दक्षिण दिशा की तरफ प्रतिवादी संख्या 2 के प्रत्येक के बहिस्सा बराबर 1/6 – 1/6 हिस्से की कृषि भुमि तथा खसरा नबंर 334 रकबा 0.02 हैक्टेयर गैर मुमकिन बैरा, में भी वादी के 1/2 हिस्से तथा शेष 1/2 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बंट में भुमि का विभाजन डिक्री धोषित करने का आदेश न्यायहित में फरमावें। व वादी के मौके पर कब्जा काश्त एवं भुमि के उपयोग–उपभोग में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 कदीमी कब्जा काश्त में से बल प्रयोग कर जबरन प्रतिवादी संख्या 1 से 3 दखलन्दाजी नहीं करे, वादी को बेदखल नहीं करे, किसी अपरिचित क्रेताओं को अवैध बैचान नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमावें।

4. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से बाद तामिल समन कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से जरिये अधिवक्ता इकबालिया जवाब दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:50:41 IST
Reason: SelfAttested

5. दिनांक 08.02.2022 को न्याया[illegible] के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार मौजा सां[illegible] के खसरा नम्बर 333, 334, 335 रकबा क्रमश 2.85, 0.02, 2.80 [illegible] 5.67 हैक्टेयर हेक्टेयर के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच रास्ते की सुविधा देते हुए कब्जे काश्त व मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा

को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/ कोर्ट/2022/230 दिनांक 03.03.2022 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/भू.अ./2022/1806 दिनांक 20.04.2022 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।

6. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव पर दोनों पक्षों के अधिवक्ता को पढकर सुनाया गया । दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की एवं आदेर्शिका पर हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

| क्र. स | खातेदार का नाम | खसरा नम्बर | रकबा हैक्टे0 में | बंटवाडें में आया रकबा (है0) में | किस्म | नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर) | लगान राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अमलूराम पुत्र धनाराम कौम विश्नोई सा0 देह खातेदार | 333 | 2.85 | 0.0250 | चा.दो. | लाल | नियमानुसार |
| | | 334 | 0.02 | 0.01 | गै.मू. बेरा | | |
| | | 335 | 2.80 | 2.80 | चा.दो. जा.दो. | | |
| 2. | किरताराम पुत्र वगताराम हिस्सा 1/3, पालूदेवी पत्नि मोहनलाल हिस्सा 1/3, ब्रहाप्रकाश पुत्र वगमाराम हिस्सा 1/3 कौम विश्नोई सा0 देह खातेदार | 333 | 2.85 | 2.8350 | चा.दो. | नीला | नियमानुसार |

7. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच पृथक – पृथक खाते खोलकर एवं राजस्व नक्शें में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:50:41 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को खुले इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

# डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

**(civil procedure code, Appendix “D”-1)**

## अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| अमलुराम पुत्र धन्नारामजी जाति–विश्नोई, निवासी मौखातरा तहसील रानीवाडा जिला–जालोर | **बनाम** | 1. किरताराम पुत्र वगतारामजी जाति विश्नोई निवासी मौखातरा<br>2. पालुदेवी पत्नि मोहनलाल जाति विश्नोई निवासी सांतरू<br>3. ब्रहमप्रकाश पुत्र वगताराम जाति विश्नोई निवासी मौखातरा हाल–निवासी सांतरू तहसील रानीवाडा जिला–जालोर<br>4. तहसीलदार भुमिधारी रानीवाडा |

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 71 / 2019

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री पुखराज विश्नोई उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से वकील मोहनलाल विश्नोई उपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

| क्र. स | खातेदार का नाम | खसरा नम्बर | रकबा हैक्टे0 में | बंटवाडें में आया रकबा (है0) में | किस्म | नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर) | लगान राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अमलूराम पुत्र धनाराम कौम विश्नोई सा0 देह खातेदार | 333 | 2.85 | 0.0250 | चा.दो. | लाल | नियमानुसार |
| | | 334 | 0.02 | 0.01 | गै.मू. बेरा | | |
| | | 335 | 2.80 | 2.80 | चा.दो. जा.दो. | | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:50:41 IST
Reason: SelfAttested

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | किरताराम पुत्र वगताराम हिस्सा 1/3, पालूदेवी पत्नि मोहनलाल हिस्सा 1/3, ब्रहाप्रकाश पुत्र वगमाराम हिस्सा 1/3 कौम विश्नोई सा0 देह खातेदार | 333 | 2.85 | 2.8350 | चा.दो. | नीला | नियमानुसार |

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं राजस्व नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 28.04.2022 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

| मुद्दई | रूपया | पैसा | मुद्दयलाह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | 2 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 1 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 1 | 00 | जवाबदावा | 0 | 00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | 0 | 00 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 00 |
| महनताना वकील | 0 | 00 | महनताना वकील | 0 | 00 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 00 | खर्चा गवाहान | 0 | 00 |
| फीस कमीश्नर | 0 | 00 | फीस कमीष्नर | 0 | 00 |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 00 | बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 00 |
| मुतफरिक | 0 | 00 | मुतफरिक | 0 | 00 |
| मौजाना | 3 | 00 | मौजाना | 1 | 00 |

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:50:41 IST
Reason: SelfAttested